-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना मटौंध व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गौवध में 25 हजार के इनामिया वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**
- **अभियुक्त पर पशु क्रुरता निवारण अधि0, एनडीपीएस एक्ट सहित आधा दर्जन मामले चित्रकूट, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में है दर्ज।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजवीर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 29.05.2025 थाना मटौंध व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना मटौंध पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 199/24 धारा 3/5(क)/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधि0 1955 व 11(1)घ पशु क्रुरता निवारण अधि0 1960 में वांछित 25 हजार के इनामिया वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 29.05.2025 को थाना मटौध व एसओजी टीम द्वारा गौरिहार छतरपुर रोड पर आलमखोड मोड थाना मटौध पर संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति वाहन संख्या MP19CB2391 से गौरिहार एमपी बॉर्डर की तरफ से मटौंध की तरफ आ रहा था। पुलिस को चेकिंग करते हुए देख गाड़ी मोड़ कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल द्वारा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो स्वयं को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। गिरफतार अभियुक्त पर म0प्र0, उ0प्र0 आदि राज्यों में आधा दर्जन भर मामले पंजीकृत है।

बरामदगी-

- 1900 रुपये
- 01 अदद् अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद चार पहिया वाहन I-20 कार
- 01 अदद सैमसंग मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

- फैजान पुत्र असलम खान निवासी ग्राम नजीराबाद रघुराजनगर थाना सिटी कोतवाली जनपद सतना (म0प्र0)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार थानाध्यक्ष मटौंध मय टीम
2. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी प्रभारी एसओजी मय टीम

आपराधिक इतिहास फैजान पुत्र असलम खान निवासी ग्राम नजीराबाद रघुराजनगर थाना सिटी कोतवाली जनपद सतना (म0प्र0)

1. मु0अ0सं0 352/19 धारा 279 भादवि व 180/181/3/5 एमवी एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 सिटी कोतवाली जनपद सतना (म0प्र0)
2. मु0अ0सं0 86/21 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बुढार जनपद शहडोल (म0प्र0)।
3. मु0अ0सं0 834/21 धारा 66/192/130/177(3)/81/77/177/56 एमवी एक्ट व 11(1)डी पशु क्रुरता निवारण अधि0 व 4,6,10 एमपी सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एमपी अपील अधि0-1966)
4. मु0अ0सं0 148/22 धारा 4/9,6/9 म0प्र0 गौवंश अधि0 11(1)(f)/11(1)घ/11(1)(c)कृष्क पशु क्रुरता निवारण अधि0 धारा 66/192 एमवी एक्ट थाना गौरीहार छतरपुर (म0प्र0)
5. मु0अ0सं0 116/22 धारा 34/379 भादवि व 177/192/192ए/56/66/81 एमवी एक्ट 10/11/6/6A/6(क)/9(1)म0प्र0 कृष्क पशु परिक्षण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना जौतपुरी अनूपपुर म0प्र0।
6. मु0अ0सं0 199/24 धारा 3/5(क)/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधि0 1955 व 11(1)घ पशु क्रुरता निवारण अधि0 1960 थाना मटौंध जनपद बांदा।